न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 23/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कमलप्रीत सिंह उर्फ काकू सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जटसिख निवासी 3 आर मोहलां वर्तमान निवासी सी-कुंज विहार, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,</u>

--निर्णय-- दिनांक : 17/07/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 आर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 78 के मुरब्बा नम्बर 15, 53/22 की कुल 6.198 हैक्टर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में 1.550 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कालांतार में वादी को काकू सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता था तथा शिक्षा रिकॉर्ड में भी उसका नाम काकू सिंह दर्ज था। सन 1988 में उसने अपना नाम काकू सिंह से बदलकर कमलप्रीत सिंह रख लिया तथा इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र दिनांक 17.09.1988 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर के कार्यालय से नाम परिवर्तन करवाने का पेश कर तस्दीक करवाया गया तथा यह स्पष्ट अंकित करवाया कि भविष्य में उसको कमलप्रीत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे, इस सम्बन्ध में अन्य आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई। इस प्रकार वादी का वर्तमान में नाम कमलप्रीत सिंह चला आ रहा है। वादी के दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, मूलनिवास, भामाशाह कार्ड में नाम कमलप्रीत सिंह अंकित है। जबकि उक्त जमाबन्दी में काकू सिंह दर्ज है। वादी अपने नाम दर्ज उपर्युक्त भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहता है। जिसके लिए पटवारी हलका, तहसीलदार आदि से सम्पर्क करने पर व उपर्युक्त समस्त रिकॉर्ड दिखाने पर तथा राजस्व रिकॉर्ड में काकू सिंह के स्थान पर कमलप्रीत सिंह उर्फ काकू सिंह दर्ज करवाने का आग्रह किया गया तथा उपर्युक्त भूमि का खातेदार वादी को अर्थात कमलप्रीत सिंह उर्फ काकू सिंह को मानकर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवाने का आग्रह किया गया। मगर तहसीलदार ने गत सप्ताह यह स्पष्ट कहा कि इसके लिए वादी को सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर आदेश लाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम के आगे कमलप्रीत सिंह उर्फ दर्ज किया जा सकेगा, अतः यह दावा हाजा न्यायालय लाना आवश्यक हो गया। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि च[illegible] के खाता संख्या 78 के मुरब्बा नम्बर 15, 53/22 की कुल 6.198 [illegible]मि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 1.550 हैक्टर भूमि [illegible] सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया ग[illegible] किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंत्राक 10012 दिनांक 15.07.2020 से रि[illegible] प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 3 आर के खाता सख्या 78 के मुरब्बा नम्बर 15 व 53/22 की कुल 6.198 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला में काकू सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

काकू सिंह को उक्त भूमि जरिये ई.स. 17(वारिस सनद) से 1.239 हैक्टर व ई.स. 566 विरास्तन से 0.248 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई थी। ई.स. 566 के साथ सलग्न वारिसनामा जो कि ग्राम पंचायत मोहलां द्वारा जारी की फोटो प्रति में गुरदेव कौर पत्नी मुखतयार सिंह के चार वारिसों में कमलप्रीत सिंह(पुत्र) का नाम अंकित है व सरपंच द्वारा एक प्रमाण पत्र भी काकू सिंह व कमलप्रीत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम होने अंकित किये गये है। पटवारी फर्दमौका के अनुसार मजमेआम पुछताछ पर उपस्थित लोगों ने बताया कि काकू सिंह व कमलप्रीत सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। साक्ष्यवादी में गवाह गुरदीप सिंह व मलकीत सिंह स्वंय उपस्थित आए व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। पैरोकार के द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र गवाह, एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 3 आर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 78 में वादी का नाम काकुसिंह उर्फ कमलप्रीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के संलग्न पटवारी हल्का मोहलां फर्दमौका मुताबिक कमलप्रीत सिंह व काकू सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर में दिनांक 17.09.1988 को प्रस्तुत काकू सिंह का नाम बदलकर कमलप्रीत सिंह किए जाने बाबत तस्दीक हलफनामा है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, मूलनिवास, भामाशाह कार्ड में नाम कमलप्रीत सिंह अंकित है। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के अनुसार कमलप्रीत सिंह व काकू सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अगर काकू सिंह की जगह कमलप्रीत सिंह नाम दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 आर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 78 के मुरब्बा नम्बर 15, 53/22 की कुल 6.198 हैक्टर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 1.550 हैक्टर भूमि में वादी का नाम काकूसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के स्थान पर काकूसिंह उर्फ कमलप्रीत सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को ... सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

कमलप्रीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **23/2020**
निर्णय दिनांक :-17.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई समक्ष उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 3 आर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 78 के मुरब्बा नम्बर 15, 53/22 की कुल 6.198 हैक्टर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 1.550 हैक्टर भूमि में वादी का नाम काकूसिंह पुत्र मुखत्यार सिंह के स्थान पर काकूसिंह उर्फ कमलप्रीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 17/09/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर

क्रमांकः राजस्व/ 2021/343 दिनांकः 17/09/21
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:46 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner